State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्र./शिक्षक शिक्षा/डी.एल.एड./स्टाफ नियु./2020–21 911 रायपुर दिनांक 27-02-2021
प्रति,

प्राचार्य
समस्त निजी डी.एल.एड. महाविद्यालय
....

विषय – राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में।
संदर्भ – 1. NCTE विनियम 2014 के परिशिष्ट 2
2.परिषद् द्वारा जारी आदेश क्र./डी.एड./स्टाफ नियुक्ति/2014–15/842 दिनांक 22.02.2014

//000//

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय में संचालित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के लिए अकादमिक स्टाफ नियुक्ति एन.सी.टी.ई. के संदर्भित विनियम 2014 के परिशिष्ट–02 एवं परिषद् के संदर्भित आदेश अनुसार अनिवार्यतः किया जाना है। विभिन्न माध्यमों से परिषद् को यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि राज्य के डी.एल.एड. के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में अकादमिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए महाविद्यालय प्रबंधन गंभीर नही है। यह अत्यन्त खेद का विषय हैं।

अतः वर्तमान में आपके संस्था में कार्यरत अकाद्मिक स्टाफ सदस्यों का स्टाफ प्रोफाइल व रिक्तयों की जानकारी प्रपत्र 'A' अनुसार परिषद् को **Email: scertcg@gmail.com** के माध्यम से उपलब्ध करावें। यदि आपके महाविद्यालय में आकदमिक सदस्यों के पद रिक्त है तो निम्नानुसार स्टाफ नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करें –

1. NCTE विनियम 2014 के परिशिष्ट 2 के कंडिका 5 एवं परिषद् के संदर्भित आदेश अनुसार स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी।
2. रिक्तयों के लिए स्टाफ नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए दो दैनिक अखबारों में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन परिषद् से अनुमोदन कराया जाए तथा इसके बाद विज्ञापन जारी किया जाए एवं चयन समिति के गठन के लिए आवेदन परिषद् में प्रस्तुत किये जाएं।
3. विज्ञापन राज्य के दो अखबारों में प्रसारित करने के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्क्रूटनी के लिए प्रारूप B में जानकारी परिषद् को प्रेषित किया जाय।
4. स्टाफ चयन के पश्चात् महाविद्यालय नियुक्त किये गये स्टाफ सदस्यों के प्रोफाइल (NCTE के प्रारूप में) परिषद् से प्रतिहस्ताक्षर कराकर NCTE को भेजेंगे।

संलग्न – परिषद् का आदेश।

(डी.राहुल वेंकट भा.प्र.से.)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

पृ. क्रं./शिक्षक शिक्षा/डी.एल.एड./स्टाफ नियु./2020–21 912 रायपुर दिनांक 27-02-2021
प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ सादर।
2. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, पेंशनबाड़ा रायपुर।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

प्रारूप 'A'

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत अकादमिक स्टाफ की संख्या		कुल रिक्तयां जिन पदों के नियुक्तियों के लिए समिति गठित करना है	विशेष
			SCERT द्वारा अनुमोदित	संस्था द्वारा नियुक्ति	3-4 (A)	
1	2	3	4 (A)	4 (B)	5	6
1	प्राचार्य / HOD	1				
2	व्याख्याता (शिक्षा के आधार)	3				
3	व्याख्याता (विज्ञान)	2				
4	व्याख्याता (सा.विज्ञान)	2				
5	व्याख्याता (गणित)	2				
6	व्याख्याता (भाषाएं)	3				
7	ललित व निष्पादन कला	2				
8	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	1				

नोट –

1. उपरोक्त गणना 100 सीट्स के लिए है 50 सीटों के लिए प्रत्येक श्रेणी में एक–एक पदों पर नियुक्ति आवश्यक होगा।
2. एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा आपके संस्था में कार्यरत अकादमिक सदस्यों के चयन को अभिप्रमाणित कब किया गया था इसकी जानकारी पृथक से संलग्न करें।
3. NCTE को प्रेषित स्टाफ प्रोफाइल की छायाप्रति भी संलग्न करें।

प्राचार्य

प्रारूप 'B'

डी.एल.एड. सीट्स की संख्या ....

क्र.	आवेदक का नाम	जिस पद के लिए आवेदन किए हैं	शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक	व्यावसायिक योग्यता एवं प्राप्तांक	आवेदन प्राप्त होने की तिथि	विशेष
1	2	3	4		5	6

कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या ....

प्राचार्य

State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक/डी.एड./स्टाफ नियुक्ति/2014–15/ 824 रायपुर दिनांक 22.02.14

//आदेश//

NCTE विनियम 2009 के परिशिष्ट–2 के नियम 4 (IV) के अनुसार राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम के लिए अकादमिक व गैर अकादमिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जाना है।

अतः परिषद् द्वारा छ.ग. राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम के लिए अकादमिक व गैर अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित करता है–

1. स्टॉफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए पदवार योग्यता NCTE के मापदण्ड अनुसार राज्य के प्रमुख दो अखबारों में विज्ञापन प्रसारित करना होगा। विज्ञापन प्रकाशन पश्चात् आवेदन करने हेतु कम से कम 15 दिवस का समय देना होगा।
2. महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से जिसमें पदनाम, आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादि का स्पष्ट विवरण तैयार करना होगा।
3. महाविद्यायलयों में यदि केवल डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित है तो स्टाफ की संख्या 50 छात्रों के मान से निर्धारित करना होगा :–

अकादमिक स्टाफ –

- प्राचार्य – 1 (बी.एड. संचालित है तो विभागाध्यक्ष नियुक्ति करें)
- व्याख्याता (आधार पाठ्यक्रम) – 1
- व्याख्याता (प्रविधि) – 3
- व्याख्याता (ललित कला/निष्पादन कला) – 1
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक – 1
- पुस्तकालय अध्यक्ष – 1

गैर अकादमिक स्टाफ –

- यू.डी.सी./कार्यालय अधीक्षक – 1
- कम्पयूटर प्रचालक एवं स्टोर कीपर – 1

क्रमशः ....

4. अतिरिक्त 50 सीटों के लिए 5 पूर्णकालिक व्याख्याता, 1 पुस्तकालय सहायक और 1 कार्यालय सहायक नियुक्ति करना होगा।
5. चयन समिति परिषद द्वारा गठित की जायेगी, चयन समिति गठित कराने हेतु महाविद्यालयों द्वारा परिषद् में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
6. प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, व्याख्याता पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति निम्नानुसार होगी :–
   - संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर द्वारा मनोनीत सदस्य – अध्यक्ष
   - सचिव, छ.ग. मा. शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा मनोनीत सदस्य – उपाध्यक्ष
   - संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर द्वारा मनोनीत **दो विषय विशेषज्ञ** – सदस्य (विषय विशेषज्ञ)
   - प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत सदस्य – सदस्य
   - संबधित महाविद्यालय का प्राचार्य – सदस्य

     (व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष के लिए)
7. गैर अकादमिक सदस्यों की नियुक्ति प्रबंधन समिति NCTE के मापदण्ड अनुसार स्वयं कर सकेगी।
8. महाविद्यालयों को सबसे पहले प्राप्त आवेदनों का विवरण बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार तैयार विवरण चयन समिति के अध्यक्ष से स्कूटनी करानी होगी। इसके पश्चात् तैयार की गयी सूची में NCTE के मापदण्ड अनुसार योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों का निकटस्थ डाइट/शासकीय शिक्षा महाविद्यालय/परिषद् में साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।
9. चयन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करना होगा। नियुक्ति पत्र में सेवा की शर्ते, सेवा समाप्त की शर्ते व वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
10. सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर होंगी।
11. NCTE के प्रारूप में स्टॉफ प्रोफाईल तैयार कर नियुक्त किये गये स्टॉफ का हस्ताक्षर कराकर इस स्टाफ प्रोफाइल को चयन समिति से अनुमोदन कराना होगा।
12. चयन समिति द्वारा अनुमोदित स्टॉफ प्रोफाईल के आधार पर ही स्टाफ प्रोफाइल पर प्रतिहस्ताक्षर संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा किया जायेगा।
13. यदि कोई चयनित सदस्य पदभार ग्रहण नहीं करता या सत्र के मध्य में ही नौकरी छोड़ देता है तो इसकी जानकारी परिषद् को देनी होगी तथा अगला सत्र प्रारंभ होने के पहले इस रिक्त सीट हेतु चयन प्रक्रिया के लिए परिषद् को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। रिक्त पद पर प्रबंध समिति अंशकालीन शिक्षक की व्यवस्था नियमित नियुक्ति होने तक के लिए करा सकेगी।
14. कर्मचारियों का पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बधित संविधिक कर्त्तव्यों का निर्वाह संस्था के प्रबंधक वर्ग द्वारा नियमानुसार नियमित रूप से किया जायेगा।

15. स्टॉफ की अधिवार्षिकी आयु छ.ग. शासन की निर्धारित नीति अनुसार होगी।

16. संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टॉफ को राज्य शिक्षा प्रणाली में समतुल्य पदों के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गये कर्मचारी के बैंक खाते में ही किया जायेगा।

17. प्राचार्य / HOD तथा व्याख्याता को राज्य सरकार द्वारा राज्य शिक्षा प्रणाली में समतुल्य पदों के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान करना होगा।

18. सेवा शर्तों में सेवा समाप्ति एवं निलंबन के संबंध में स्पष्ट निर्देश अंकित करना होगा।

19. चयन प्रक्रिया हेतु संबंधित महाविद्यालय को परिषद् में प्रक्रिया शुल्क 5000/– जमा करना होगा। मनोनीत सदस्यों तथा विषय विशेषज्ञों का टीए/डीए व मानदेय का भुगतान (प्रबंध समिति द्वारा मनोनित सदस्य को छोड़कर) परिषद द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश नये एवं पुराने संचालित निजी महाविद्यालयों पर समान रूप से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृ. क्रमांक/डी.एड./स्टॉफ नियुक्ति/2013–14/ 825 रायपुर दिनांक 22.02.14

प्रतिलिपि –

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पेंशनबाड़ा रायपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, (NCTE), WRC, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
4. प्राचार्य, CTE रायपुर / IASE बिलासपुर / डाइट.................................को सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, ... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर